

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 29, बुधवार, शके 1947- फरवरी 18, 2026 Magha 29, Wednesday, Saka 1947- February 18, 2026	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

कार्यालय आदेश

जयपुर, फरवरी 12, 2026

संख्या एफ-7(14)रालसा/संस्था/पी.एल.ए. सदस्य नियुक्ति/2025/103:- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की आज्ञा संख्या पं.8(7) विधि-2/विरसं.(39)/2002पार्ट/II/ 52508 दिनांक 11.02.2026 द्वारा निम्नलिखित स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) के सदस्य हेतु नाम निर्देशन (Nomination) के अनुसार नाम निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की कालावधि या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पूर्व हो) के लिए इस संबंध में प्रभावी नियमों के अध्याधीन एतद्वारा नियुक्ति की जाती है :-

क्र.सं.	जिला न्यायक्षेत्र स्थायी लोक अदालत	नियुक्ति हेतु चयनित व्यक्ति का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)	अन्य विवरण
1	2	3	4
01.	बालोतरा	भगवाना राम चौधरी	अधिवक्ता
02.	चित्तौड़गढ़	दिप्ती सेठिया	चार्टर्ड अकाउंटेंट
03.	झुंजरपुर	प्रकाश पटेल	अधिवक्ता
04.	झालावाड़	तनुजा शर्मा	अधिवक्ता
05.	जोधपुर महानगर	नरेश पुरोहित	सेवानिवृत्त संयुक्त रजिस्ट्रार (लेखा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
06.	करौली	बृज किशोर बैरवा	अधिवक्ता
		शुभा दीक्षित	पारिवारिक न्यायालय में काउन्सलर
07.	श्रीगंगानगर	भुवनेश चन्द्र शर्मा	अधिवक्ता
		गजेन्द्र विश्नोई	अधिवक्ता

इस आदेश द्वारा नियुक्त स्थायी लोक अदालत के सदस्य को फीस व अन्य सुविधायें
The Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and

other persons) Rules, 2003 तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश/स्वीकृतियों के अनुरूप देय होंगी।

उपरोक्त सारणी में कॉलम संख्या 03 में अंकित व्यक्तियों को इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति समाप्त समझी जावेगी।

आज्ञा से,
हरि ओम अत्री,
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।